न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2565 सन् 2026

01. प्रवीण कुमार पुत्र सतपाल सिंह,

02. प्रमिला उर्फ परमिला पत्नी प्रवीण कुमार, निवासीगण ग्राम औलेढ़ा, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर .....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–49 सन् 2026

अन्तर्गत धाराः–318(4), 351(2), 336, 338 व 340(2) बी.एन.एस.

थानाः–गुलावठी, जिला बुलन्दशहर,

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी जयपति पत्नी सूखाराम द्वारा थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर दी गई कि प्रार्थीया ने दिनांक 01.08.2025 को गांव औनेठा, स्थित प्रवीण कुमार पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम औलेढा, थाना गुलावठी, तहसील व जिला युलन्दशहर में खाता से 0480 खेत सं0 456 रकबई 1.9500 है0 के 1/4 भाग में से 0.1686 है कृषि भूमि बजरिये बैनामा धनराशि 19,00,000/– (उन्नीस लाख रूपये) में खरीदी थी। उक्त रकम प्रार्थीया ने अपने व अपने पुत्र जगवीर के संयुक्त बैंक खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा औरंगाबाद अहीर बुलन्दशहर से प्रवीण कुमार पुत्र सतपाल सिंह के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छपरावत, बुलन्दशहर के बैंक खाते में अदा की गयी। उक्त बैनामें में गांव के ही जितेन्द कुमार पुत्र कुंवरपाल सिंह तथा कृष्णपाल सिंह पुत्र गजेन्द सिंह साक्षी थे। कृष्णपाल वर्तमान में गांव विसायच, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर में रहता है, किन्तु गांव की पार्टीबन्दी तथा प्रवीण के परिजनों की नीयत में बदी आ जाने के कारण उन्होने साक्षियों को अनैतिक प्रलोभ मे लेकर दिनांक 20.08.2025 को उक्त विक्रीत भूमि का दान विलेख प्रवीण कुमार से प्रमिला उर्फ परमिला पनि प्रवीण कुमार निवासी गांव औलेढा, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर के नाम करा दिया उक्त विलेख में साक्षी कृष्ण पाल पुत्र गजेन्द सिंह निवासी गाव विसायच, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर मूल निवासी गांव कोटा, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर तथा सुधीर कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी ग्राम खादमोहन, थाना स्याना जिला बुलन्दशहर है उक्त विलेख की खबर जैसे ही प्रार्थीया को लगी प्रार्थीया ने अपने परिजनो को साथ लेकर प्रवीण कुमार, प्रमिला उर्फ परमिला, कृष्णपाल, जितेन्द्र व सुधीर से उक्त धोखाधड़ी के बारे में कहा तो पांचो मुल्जिमान ने धमकी देते हुये कहा कि हम तो ऐसा ही करते हैं अब हम न तो तुम्हे जमीन देंगे और न ही तुम्हारे रूपये लौटायेंगे और ज्यादा शोर शराबा किया तो तुम्हारे परिवार के आदमियों/ लड़कों के विरुद्ध बलात्कार के मुकदमे लिखवाकर जेल भिजवा देंगे पोक्सो एक्ट मे झूठा मुकदमा दर्ज कराना हमारे बाएं हाथ का काम है। बैनामा भी कैंसिल करा देंगे। प्रवीण, जितेन्द्र, कृष्णपाल, सुधीर, प्रमिला द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर प्रार्थीया के बुजुर्ग व लाचार होने का फायदा उठाकर ठगी की है। जितेन्द्र के विरूद्ध अनेक मुकदमे थाना गुलावठी व थाना सिकन्द्राबाद पर दर्ज है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का वादिनी मुकदमा से आपस में समझौता हो चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण की अपराध में सक्रिय भूमिका है। आरोपित

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 16:36:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचना व छल करते हुए पूर्व वादिनी मुकदमा को जरिये बैनामा विक्रीत भूमि का पुनः आवेदक/अभियुक्त प्रवीण कुमार की पत्नी /आवेदिका–अभियुक्ता प्रमिला उर्फ परमिला के नाम दान पत्र निष्पादित करा दिया गया।

अभियोजन के अनुसार अब तक की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदक/ अभियुक्त प्रवीण कुमार द्वारा अपनी भूमि खाता संख्या–480 खेत संख्या–456 रकबई 1.95200 है0 के अपने खेत 1/4 भाग में से 0.1686 है0 भूमि का बैनामा दिनॉक–1.8.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती जयपति के नाम निष्पादित किया गया था, परन्तु आवेदक/अभियुक्त प्रवीण कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा को बैनामा की गयी भूमि का कब्जा वादिनी को न देकर अपनी सम्पूर्ण भूमि का दानपत्र दिनॉक–20.8.2025 को अपनी पत्नी/आवेदिका–अभियुक्त परमिला को कर दिया गया।

इस स्तर पर आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दौरान विवेचना आवेदक/ अभियुक्त प्रवीण कुमार को उसकी गम्भीर बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया है। बाद विवेचना आवेदक/ अभियुक्त प्रवीण कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदिका/ अभियुक्त प्रमिला उर्फ परमिला की कोई सक्रिय भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। आवेदिका/ अभियुक्ता को मात्र इस आधार पर इस प्रकरण में सम्मिलित कर दिया गया है कि उसके नाम आवेदक/ अभियुक्त प्रवीण कुमार द्वारा दानपत्र निष्पादित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिका/ अभियुक्ता को हिरासत में लेकर किसी वस्तु अथवा सम्पत्ति की बरामदगी शेष नहीं है।

अभियोजन की ओर से इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त प्रवीण कुमार को थाने से जमानत पर रिहा किया गया था तथा आरोप पत्र न्यायालय में आवेदक/ अभियुक्त प्रवीण कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचना के दौरान आवेदक/ अभियुक्त प्रवीण कुमार को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया है तथा उसके विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/ अभियुक्ता प्रमिला उर्फ परमिला की भूमिका उसके पक्ष में दानपत्र निष्पादित किये जाने की दर्शित की गयी है। इस स्तर पर अभियोजन का यह कथन नहीं है कि आवेदिका/ अभियुक्ता को हिरासत में लेकर किसी वस्तु अथवा सम्पत्ति की बरामदगी किया जाना आवश्यक है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा इस स्तर पर दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदकगण/ अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/ अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. आवेदकगण/ अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगें, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. आवेदकगण/ अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगें।
03. आवेदकगण/ अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगें।
04. आवेदकगण/ अभियुक्तगण आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगे,

05. अभियुक्ता अग्रिम जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगी, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।

06. आवेदकगण/ अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगें तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगें तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगें और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

07. आवेदिका/ अभियुक्ता विवेचना व विचारण के शीघ्र निस्तारण में सहयोगी करेगी तथा आवेदक/ अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा आवेदक/अभियुक्त **प्रवीण कुमार** आदेश की दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आदेश के अनुक्रम में अंकन–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदिका/अभियुक्ता **प्रमिला उर्फ परमिला** को इस अपराध में गिरफ्तार किया जाता है अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करती है, तो अभियुक्ता द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये। आवेदिका/अभियुक्ता अन्दर 15 दिन जमानतनामें निष्पादित करना सुनिश्चित करे।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर व जिला शासकीय अधिवक्ता–फौ0 को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

(संजय सिह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 06.06.2026

आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015

शिवम गौड़–पी0ए0,